मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 52/2024 वादपत्र धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट.

सोहनलाल पिता स्व0 भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

—वादी

बनाम

1. राधेश्याम पिता स्व0 भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा
2. श्रीमति मुन्ना पिता स्व0 भंवरलाल, पत्नि महादेव धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा हाल निवास मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
3. श्रीमति भगवती पिता स्व0 भंवरलाल पत्नि नन्दकिशोर धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा हाल लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी
4. रामनिवास माता स्व0 श्रीमति कलाबाई धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
5. श्रीमति अणछी बाई पत्नि स्व0 भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा
6. श्रीमति सम्पत बाई पत्नि राधेश्याम धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा
7. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी
8. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री एम.के. गोस्वामी, राहुल मेहता की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार सर्कल जयसिंहपुरा की आराजी नं. 349, 979 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7500 है0 भूमि मे वादी का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हक हिस्सा एवं आराजी नं. 986 रकबा 0.7800 है0 भूमि मे से वादी का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हक हिस्सा तथा आराजी नं. 341, 342, 756, 985 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2600 है0 भूमि जो भंवरलाल पिता नाथू धाकड़ के नाम पर दर्ज है उसमें से वादी का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....X..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X..... को दी जावे।

यह आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/10 दिनांक 20/01/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़
(बईजलास पीठासीन अधिकारी प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 52/2024 वाद जी.सी.एम.एस.नम्बर 2024/92 दिनांकः 20.01.2025

सोहनलाल पिता स्व0 भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
—वादी

बनाम

1. राधेश्याम पिता स्व0 भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा
2. श्रीमति मुन्ना पिता स्व0 भंवरलाल, पत्नि महादेव धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा हाल निवास मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
3. श्रीमति भगवती पिता स्व0 भंवरलाल पत्नि नन्दकिशोर धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा हाल लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी
4. रामनिवास माता स्व0 श्रीमति कलाबाई धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
5. श्रीमति अणछी बाई पत्नि स्व0 भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा
6. श्रीमति सम्पत बाई पत्नि राधेश्याम धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा
7. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी
8. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

उपस्थित :— श्री अनिल सोनावा अधिवक्ता वादी
श्री मुकेश जति गोस्वामी अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 2 से 4
श्री राहुल मेहता अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 5

प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार सर्कल जयसिंहपुरा में खतोनी संख्या 307 की आराजी नं. 349 क्षेत्रफल 1.3400 है0 लगान 44.22 रूपया, आराजी नं. 979 क्षेत्रफल 0.4100 है0 लगान 13.53 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 1.7500 है0 भूमि कुल लगान 57.75 रूपया भूमि स्थित है उक्त भूमि वादी के पिता भंवरलाल पिता नाथू जी धाकड़ के नाम पर दर्ज थी वो हिस्सा वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 6 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खतोनी संख्या नई 207 की आराजी नं. 986 क्षेत्रफल 0.78[illegible] इस खातें की आराजी में 1/2 हक हिस्से की भूमि वादी के पिता भंवरलाल पि[illegible] धाकड़ के नाम पर दर्ज थी वो हिस्सा वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 6 [illegible] खतोनी संख्या नई 125 की आराजी खसरा नं. 341 क्षेत्रफल 0.0100 है0 [illegible] कुआ, आराजी खसरा नं. 342 क्षैत्रफल 0.9100 है0 लगान 30.03 रूपया आराजी नं. 756 क्षेत्रफल 0.6100 है0 लगान 20.13 रूपया, आराजी नं. 985 क्षैत्रफल 0.7300 है0 लगान 24.09 रूपया कुल किता 4 कुल रकबा 2.2600 है0, लगानी 74.25 रूपया भूमि का वादी के पिता भंवरलाल पिता नाथू जी धाकड़ के नाम पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात् के भू—प्रबंधक एवं सेटलमेन्ट अनुसार साबिक आराजी नं. 176/2, 179, 421, 520, 524 कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 12 विस्वा है व आराजी नं. 525 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा है। वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वाद में दर्शित कर अंकित किया कि मूल पुरूष नाथु पिता हेमा जी धाकड़ थे जिनका स्वर्गवास हो गया वो वादी के दादा जी है,उनके एक पुत्र भंवर लाल जी हुये जो वादी के पिता है, श्री भंवर लाल जी का स्वर्गवास दिनांक 01/07/2024 को हो गया जिनके विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान् प्रतिवादी क. 1 राधेश्याम, वादी सोहनलाल, प्रतिवादी क.2 मुन्ना, प्रतिवादी क. 3 भगवती, प्रतिवादी क. 4 रामनिवास, प्रतिवादी क. 5 अणछीबाई है। श्रीमति कला का भी स्वर्गवास हो गया है, जिनका उतराधिकारी प्रतिवादी क. 4 रामनिवास है। वर्तमान में भंवरलाल के विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादी क. 1 से 5 है। उक्त वर्णित आराजीयात् वादी की पुश्तैनी पैतृक सम्पति होकर वादी के दादा जी नाथु पिता हेमा जी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। नाथू जी के स्वर्गवास के बाद विरासत से नामान्तरण संख्या 388 से वादी के पिता भंवरलाल पिता नाथु जी धाकड़ के नाम पर वादग्रस्त आराजी दर्ज हुई। उक्त आराजीयात् पुश्तैनी पैतृक है जो वादी के पिता को विरासत से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्म से: हक व अधिकार है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक खातेदार भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान् एवं उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी क. 1 से 4 है। जिनका बराबर–बराबर वादग्रस्त आराजीयात् में जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादी भंवरलाल जी का जायन्दा पुत्र है उक्त आराजीयात् पुश्तैनी पैतृक होने से वादी का वादग्रस्त आराजीयात् मे जन्म से ही हक अधिकार निहित होने से वादी का वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी नं. 349, 979 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7500 है0 भूमि मे 1/6 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी क. 1 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी क. 2 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी क. 3 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी क. 4 का 1/6 हक हिस्सा, व भंवरलाल पिता नाथु का 1/6 हिस्सा पुश्तैनी पैतृक आराजी में कानूनन बनता है तथा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी नं. 986 रकबा 0.7800 है0 भूमि मे से 1/2 हक हिस्सा जो वादी के पिता के नाम दर्ज था वर्तमान में प्रतिवादी क. 6 के नाम दर्ज है उसमे से वादी का 1/12 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी क. 1 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी क. 2 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी क. 3 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी क. 4 का 1/12 हक हिस्सा, मृतक भंवरलाल जी का 1/12 हक हिस्सा पुश्तैनी पैतृक आराजी में कानूनन बनता है तथा वाद पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित आराजी नं. 341, 342, 756, 985 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2600 है0 भूमि जो मृतक भंवरलाल पिता नाथू जी धाकड़ के नाम पर दर्ज है उसमें से वादी का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी क. 1 से लगायत् 5 का 1/6 हक हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है इसलिये वादग्रस्त आराजीयात् पुश्तैनी होने से बाई बर्थ ऑफ राईटस अनुसार वादी के नाम पर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् में 1/6 हक हिस्से एवं प्रतिवादी क. 1 से 4 प्रत्येक के नाम पर 1/6 हक हिस्से एवं वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी मे वादी का 1/12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी क. 1 से लगायत् 4 प्रत्येक के नाम पर 1/12 हक प्रतिवादी नं. 6 का 1/12 हिस्सा एवं वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात् में वादी एवं प्रतिवादी क. 1 से लगायत् 5 प्रत्येक के नाम पर 1/6 हक हिस्से की खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जाना न्यायोचित है।

वाद पत्र की चरण संख्या 1, 2, 3 में वर्णित आराजीयात् मे वादी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है तथा वादी वादग्रस्त आराजीयात् के अपने 1/6 हक हिस्से पर अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादग्रस्त आराजीयात् वादी की पुश्तैनी है जो वादी के दादा जी के नाम पर थी [illegible] ऑफ राईटस है वादी के पिता भंवरलाल का वादग्रस्त आराजी मे 1/6 हिस्सा [illegible] है, लेकिन सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजी भंवर लाल के नाम पर दर्ज थी, वा[illegible] 85 वर्ष से अधिक होकर वृद्ध पुरूष थे तथा वादी के पास ही रहते [illegible]वादी क. 1 [illegible] वादी का बड़ा भाई है उसने अपन नाम पर पंजीयन दिनांक 22.05.202[illegible] दान किस आधार पर किया गया उसके बारे में कोई उल्लेख नही किया है [illegible] में भी गवाह प्रतिवादी क. 1 एवं अन्य बड़ीसादड़ी का व्यक्ति बना जबकी सक्षम गवाह नही है जिससे भी दान पत्र संदिग्ध हो जाता है जबकी उक्त भूमि पर भार था ऐसी भूमि का हस्तान्तरण कानूनन अवैध है जब तक हस्तानान्तरण भूमि सभी भार बोझ से मुक्त नही होती उसका कानूनन अन्तरण नही किया जा सकता है दान पत्र अवैध है• चुंकि वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क. 1 से 4 का बाई बर्थ ऑफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

राईटस है भंवरलाल द्वारा प्रतिवादी क्र. 6 के पक्ष में अपने 1/6 हिस्से की भूमि का ही दान कर सकते थे, लेकिन प्रतिवादी क्र. 6 के पक्ष में इस हिस्से से अधिक भूमि इनके नाम पर करवा दी जो अवैधानिक है जो वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 से लगायत् 4 के हक व अधिकारों के विरूद्ध होकर बेअसर व अमान्य है। प्रतिवादी क्र. 6 के पक्ष में निष्पादित दान पत्र पुश्तैनी भूमि का है जो 1/6 हिस्से से अधिक भूमि का किया गया है जो कानूनन निष्प्रभावी होकर शून्य है। वादी वादग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात् वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित है उसमें वादी 1/6 हिस्से तथा प्रतिवादी क्र. 1 से लगायत् 4 के नाम पर 1/6 हक हिस्से तथा वाद पत्र चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी में वादी का 1/12 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी क्र. 1 से लगायत् 4 प्रत्येक का 1/12 हिस्से प्रतिवादी नं. 6 का 1/12 हिस्सा एवं वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित आराजी में वादी का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी क्र. 1 से लगायत् 5 का 1/6 हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने का कानूनन अधिकारी है।

इस आशय का वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश किया जो बाद जांच रजिस्टर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बरौज पेशी दिनांक 28.11.2024 को प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुये। प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 उपस्थित होकर अधिवक्ता श्री मुकेश जति गोस्वामी ने अधिकार पत्र व जवाब इकबालिया पेश किया। प्रतिवादी नं. 1, 5 से 8 की तामील बाद लौटी है उपस्थित नही। पेशी दिनांक 02.12.2024 को प्रतिवादी नं. 5 उपस्थित होकर अधिवक्ता श्री राहुल कुमार मेहता ने अधिकार पत्र के साथ जवाब इकबालीया पेश किया, प्रतिवादी नं. 1 व 6 से 8 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादी ने प्रार्थना पत्र धारा 53 आ0टी0एक्ट की दाद विड्रो करने बाबत् पेश किया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अनापत्ति जाहिर की जिससे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर धारा 53 का अनुतोष विड्रॉ के आधार पर खारिज किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी की ओर से इकबालिया जवाब होने से वादी के वाद का खण्ड़न नही होने से तनकीयात कायम नही किये गये पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई।

साक्ष्य वादी में शपथ पत्र PW-1 वादी सोहनलाल, शपथ पत्र PW-2 गवाह रामेश्वर लाल, शपथ पत्र PW-3 रंगलाल, शपथ पत्र PW-4 बालमुकुन्द, शपथ पत्र PW-5 नानालाल, शपथ पत्र PW-6 गोपाल के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया जिसमे खाता सं. 307 की नकल प्रदर्श –1, खाता सं. 207 की नकल प्रदर्श –2, खाता सं. 125 की नकल प्रदर्श –3, रजिस्टर्ड दान पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –4, नामान्तरण सं. 473 की नकल प्रदर्श –5, नामान्तरण सं. 470 की नकल प्रदर्श –6, मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 खाता सं. 61 की नकल प्रदर्श –8, जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 खाता सं. 69. की नकल प्रदर्श –9, जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 खाता सं. 84 की नकल प्रदर्श –10, जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 खाता सं. 79 की नकल प्रदर्श –11, नामान्तरण सं. 399 की नकल प्रदर्श –12, जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 खाता सं. 106 की नकल प्रदर्श –13, जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 खाता सं. 149 की नकल प्रदर्श –14, जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 खाता सं. 120 की नकल प्रदर्श –15, जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 खाता सं. 176 की नकल प्रदर्श–16, जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता सं. 126 की नकल प्रदर्श –17, जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता सं. 209 की नकल प्रदर्श –18, भंवरलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श –19 है। वादी एवं गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील [illegible] ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपने वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक [illegible] प्रस्तुत किये।
आर0आर0टी 2015 (1) पेज [illegible] 2024 आर0बी[illegible] पेज 309, 2023 आर0बी0जे0 पेज 106, 2023 आर0बी0जे0 पेज 172, [illegible] प्रति प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा [illegible] का कोई खण्ड़न नही कर वादी के वाद को डिक्री करने में कोई अनापत्ति जाहिर की वादी का वाद सही होना वादग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात् होना तथा उसमें प्रतिवादी का हिस्सा होने से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। दिनांक 2.12.2024 को वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. की दाद विद्रो करने का पेश किया जो स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता वादी की लिखित बहस पर मनन व चिन्तन किया। दस्तावेज अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2011–14 खाता सं. 61, सम्वत् 2015 –18 में आराजी खाता स. 69 जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 46 में खाता सं. 79 पर दर्ज आराजी खातेदार नाथू पिता हेमा धाकड़ के नाम पर दर्ज थी । नाथू की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण सं. 388 दिनांक 24.05.1989 के अनुसार नाथू पिता हेमा धाकड़ से भंवरलाल पिता नाथू धाकड़ को उत्तराधिकार मे मिली। जो जमाबन्दी नकल व मिलान क्षैत्रफल की नकल से साबित होता है कि विवादित आराजीयात् पुश्तैनी है। खातेदार भंवरलाल के जीवनकाल में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात् में 1/6 हिस्सा बनता है उससे अधिक भूमि का पंजीकृत दान पत्र प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में निष्पादित किया है जो जमाबंदी नकलो एवं प्रतिवादीगण के जवाब व गवाहों के बयानों से सिद्ध होता है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने अपने हक व हिस्से की भूमि के बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पैतृक भूमि में अपना हिस्सा मानते हुये प्रस्तुत किया है जिसका क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। यदि कोई व्यक्ति अपने हक व हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान करता है तो ऐसा दस्तावेज चाहे व पंजीकृत हो प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध होता है। ऐसे दस्तावेज से अन्य व्यक्तियों का हक व हिस्सा प्रभावित नही माना जा सकता है। ऐसे दस्तावेज को निरस्त कराये बिना भी राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हक व हिस्सा तय कर सकता है। इसके लिये पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराया जाना आवश्यक नही है। जैसा कि 2015(1)आरआरटी पेज 474 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि खातेदार भंवरलाल ने पुश्तैनी आराजी में अपने हिस्से से अधिक भूमि का दान पत्र प्रतिवादी सं. 6 सम्पतबाई के पक्ष में निष्पादित किया है जबकी भंवरलाल 1/6 हिस्से का ही अन्तरण कर सकता है। अतः समग्र विश्लेषण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार सर्कल जयसिंहपुरा की आराजी नं. 349, 979 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7500 है0 भूमि मे वादी का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी .ख्या 6 का 1/6 हक हिस्सा एवं आराजी नं. 986 रकबा 0.7800 है0 भूमि मे से वादी का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हक हिस्सा तथा आराजी नं. 341, 342, 756, 985 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2600 है0 भूमि जो भंवरलाल पिता नाथू धाकड़ के नाम पर दर्ज है उसमें से वादी का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। धारा 188 आर.टी.एक्ट की दाद वादी साबित करने में अफसल रहा इसलिये धारा 188 की दाद खारिज की जाती है। उक्त आशय का डिक्री पर्चा अलग से बनाया जावे ।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 20/01/2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 10:36:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीना(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी